काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
BANARAS HINDU UNIVERSITY

कुलसचिव कार्यालय
सामान्य प्रशासन
Office of the Registrar
General Administration

Date : 20.04.2020

IMPORTANT/URGENT

NOTIFICATION

This is in continuation to the Office Order no. R/GAD/Misc.-Covid-19/Misc.45/59921 Dated 15 April, 2020.

Kindly find enclosed herewith the ORDER no. 1652/J.A.III-2020 dated 19.04.2020 (copy enclosed) of the District Megistrate, Varanasi. regarding- (आदेश अन्तर्गत धारा–144 दण्ड प्रक्रिया संहिता) **Accordingly the University shall remain closed till 3rd May, 2020.**

However, the essential services like, Medical and emergency services i.e. SS Hospital, Trauma Centre, Electric & Water Supply, Sanitation, Security Services, Dairy and those directly engaged in taking measures to control spread of COVID-19 will continue.

However, all necessary safety measures shall be taken by the staff engaged in these services and they will engaged in staggered manner as far as possible.

The employees/students those who are residing in the campus may contact the control room BHU on telephone no. 2369242, 2369134 for urgent or emergent need.

Encls : As above

ASSISTANT REGISTRAR
(General Administration)

Varanasi 221005, UP, INDIA
T : 91-542-2368903,
F: 91-542-2369100
Web : www.bhu.ac.in

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
BANARAS HINDU UNIVERSITY

कुलसचिव कार्यालय
सामान्य प्रशासन
Office of the Registrar
General Administration

Ref. R/GAD/Misc./45/COVID-19/59924 Date : 20.04.2020

COPY forwarded to the following for information and necessary action:

1. The Directors of Institutes/Deans of Faculties/Heads of Deptts/Offices/Sections/Unites,
2. The Principal, Mahila Mahavidyalaya,
3. The Principal, College/Schools,
4. The Coordinator/Administrative Warden/Warden of the Hostels,
5. Professor-Incharge, RGSC (Barkachha),
6. The Chief Proctor,
7. The Finance Officer,
8. The Dean of Students,
9. The Superintending Engineer, UWD & EWSS,
10. The Controller Examinations,
11. The Coordinator of Schools/Centres,
12. The Medical Superintendent, S.S. Hospital,
13. Professor-Incharge, Trauma Centre, IMS,
14. The Information & Public Relations Officer,
15. The CMO Incharge, University Employees Health Care Complex,
16. The CMO Incharge, University Students Health Care Complex,
17. All the Joint Registrar/Dy. Registrar/Asstt. Registrar/Hindi Officer/Law Officer,
18. The Assistant Registrar & Secretary to the Vice-Chancellor,
19. The Assistant Registrar, Office of the Registrar,
20. The Training & Placement Officer,
21. The Student Counsellor,

BANARAS HINDU UNIVERSITY

ASSISTANT REGISTRAR
(General Administration)

Varanasi 221005, UP, INDIA
T : 91-542-2368903,
F: 91-542-2369100
Web : www.bhu.ac.in

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।

संख्याः 1652/जे0ए0 III–2020 दिनांकः– 19 अप्रैल, 2020

आदेश अन्तर्गत धारा–144 दण्ड प्रकिया संहिता

वर्तमान समय में 'नोवल कोरोना वायरस' के संक्रमण को भारत में महामारी घोषित किया गया है। राज्य सरकार के महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्याः 3 सन् 1897) की धारा–2 व इसके अन्तर्गत जारी उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग–5 की अधिसूचना संख्याः 548/पांच–5–2020, दिनांकः 14.03.2020 आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 तथा दण्ड प्रकिया संहिता के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस कार्यालय के आदेश संख्या–1651/जे0ए0–III-2020, दिनांकः 18.04.2020 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा पारित किया गया है। वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत नोवल कोरोना वायरस (कोविड–19) के प्रसार को रोकने के लिए जनहित में विशेष प्रतिबन्ध लगाना व पूर्व के आदेश को संशोधित करना अत्यन्त आवश्यक है।

उ0प्र0 सरकार के गृह (गोपन) अनुभाग–3, द्वारा जारी शासनादेश संख्या–264/2020/सीएक्स–3, दिनांक 16.04.2020 एवं मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन, कार्मिक अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या–7/2020/315/सामान्य–का–4–2020, दिनांक 17.04.2020 तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या–40–3/2020–डीएम–I(A) दिनांक 15.04.2020 के अन्तर्गत कुछ गतिविधियों को दिनांक 20 अप्रैल 2020 से जनपदों में सशर्त चलाने की अनुमति प्रदान की गयी है । आज दिनांक 19.04.2020 को शासन द्वारा प्रदेश के 19 जनपदों जिसमें 10 से अधिक केस पाये गये हैं, उनमें 20 अप्रैल के उपरान्त चलने वाली गतिविधियों पर निर्णय लेने हेतु जनपद स्तर पर अधिकृत किया गया है।

यह कि जनपद वाराणसी में पूर्व में 09 कोरोना पाजिटिव केस थे । दिनांक 17 अप्रैल 2020 को एक साथ 05 पाजिटिव केस व दिनांक 18 अप्रैल 2020 को 01 नया कोरोना पाजिटिव केस प्रकाश में आया है।

यह कि जनपद वाराणसी में कोरोना से संक्रमण फैलने की रफ्तार अभी भी ज्यादा है। अतएव उक्त के दृष्टिगत मेरा समाधान हो गया है कि जनपद वाराणसी के सम्पूर्ण क्षेत्र में नोवल कोराना वायरस (कोविड–19) के प्रसार को रोकने के लिए एवं शांति व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के निमित्त आदेश अन्तर्गत धारा–144 दण्ड प्रकिया सहिता तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा पारित किया जाना आवश्यक है।

अतः मैं कौशल राज शर्मा, जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–144 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियिम–2005 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए सम्पूर्ण जनपद वाराणसी में निम्नांकित निषेधाज्ञा पारित करता हूँ, जो दिनांकः 03.05.2020 तक लागू रहेगीः–

1 जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में मनरेगा के अन्तर्गत सभी कार्य न्यूनतम 02 मीटर की सोशल डिस्टेसिंग तथा फेस मास्क व अन्य सोशल डिस्टेंसिंग के जारी निर्देशों की शर्त के साथ अनुमन्य किये जाते हैं।

2 एक्सप्रेस वे, हाइवे व सड़क के कार्य जो नगर निगम क्षेत्र के बाहर हैं वे 02 मीटर की दूरी, मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के अन्य नियमों के साथ अनुमन्य होंगे।

3 जनपद में भारत सरकार व राज्य सरकार के द्वारा आदेशों में वर्णित आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी के फैक्ट्री/कारखानों को छोड़कर अन्य किसी भी फैक्ट्री/कारखानों को चलाने के लिए अनुमति नहीं होगी। यदि किसी फैक्ट्री/कारखानों को किसी वृहद आवश्यक सेवा अथवा राष्ट्र हित के लिए चलाना आवश्यक समझा जायेगा तो एसे फैक्ट्री/कारखानों के प्रबंधक द्वारा अलग से जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन दिया जायेगा, जिस पर अनुमति देने के लिए केस टू केस बेसिस पर विचार होगा। उसे विशेष अनुमति के उपरान्त ही फैक्ट्री/कारखानों को चलाने की अनुमति होगी।

4 आपदा तथा आवश्यक वस्तुओं से जुड़े कार्यालय जो पूर्व से खुले हैं के अतिरिक्त राज्य/केन्द्र/अर्द्ध शासकीय कार्यालय, शिक्षण संस्थान व विद्यालय आदि नहीं खोले जायेंगे। किसी भी संस्था/कार्यालय/विभाग के कुछ विशेष अधिकारियों/कर्मचारियों की आवश्यकता हो तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट को अलग से आवेदन करेंगे जिस पर अनुमति देने के लिए केस टू केस बेसिस पर विचार होगा । जब तक अनुमति न मिले तब तक कार्यालय/संस्थान/विभाग खोलना वर्जित रहेगा । इसके अलावा स्वरोजगार/ई–कामर्स के माध्यम से सामान की आपूर्ति करने वाले कर्मियों को भी प्रतिबन्धित किया जाता

Scanned with CamScanner

है। स्वरोजगार में लगे व्यक्ति, कार्मशियल वस्तुएं पहुँचाने वाली दुकानें/फर्में, IT/ITES, सेवाओं की कम्पनियों एवं निर्माण कार्य भी 20 अप्रैल, 2020 से बंद रहेंगे। केस टू केस बेसिस पर आवेदन आने पर इनकी तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए ही इस पर निर्णय लिया जायेगा।

5 नगर पालिका व नगर निगम के अंतर्गत ऐसे निर्माण कार्य जहाँ मजदूर उक्त कार्य स्थल पर मौजूद हैं, बाहर से लाने की आवश्यकता न हो उन पर निर्माण एजेन्सी से आवेदन आने पर केस टू केस बेसिस पर निर्णय लिया जायेगा।

6 आवश्यक वस्तुओं का विक्रय करने वाली रिटेल दुकानें तथा अनाज मण्डी, दूध मण्डी, सब्जी मण्डी, दवा मण्डी कन्ट्रोल राशन की दुकान, बैंक ब्रांच व सभी मार्केट प्लेस जो व्यक्तियों को 20 अप्रैल, 2020 से 2 मीटर की दूरी व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा पायेंगे, उन्हे बन्द कराया जायेगा।

7 किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने घर से बाहर निकलकर धार्मिक किया–कलाप किया जाना प्रतिबन्धित किया जाता है।

8 होम कोरेंटाइन किये गये व्यक्ति, प्रवासी मजदूर, कोटा शहर से लौटे विद्यार्थी प्रत्येक दशा में 14 दिन तक होम कोरेंटाइन रहेंगे।

9 किसी भी आवश्यक कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति का घर से बाहर निकलना अनुमन्य तभी होगा जब उसके स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड किया गया होगा। इसी प्रकार से आज तक के सभी जारी पास तभी वैध माने जायेंगे जब पास धारक के स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड पाया जायेगा। इसके बिना सभी पास निरस्त समझे जायेंगे ।

10 विभिन्न प्रकार की मण्डी/दुकानों के खुलने की समयावधि इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 1651/जे0ए0–III.2020, दिनांकः 18.04.2020 के अनुसार ही रहेंगी।

यह आदेश जनपद वाराणसी के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 03 मई, 2020 तक प्रभावी रहेगा। आदेश में वर्णित प्रतिबन्धों की अवहेलना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

चूँकि स्थिति की गम्भीरता एवं तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए उक्त प्रतिबन्धों को तत्काल प्रभावी किया जाना आवश्यक है और समयाभाव के कारण किसी अन्य पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पाना सम्भव नही है, अतएव यह आदेश एक पक्षीय रुप से पारित किया जा रहा है।

इस आदेश के उल्लघन का संज्ञान जनपद में तैनात पुलिस उप निरीक्षक स्तर से अथवा उससे वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी अथवा तहसीलदार मैजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, नगर मजिस्ट्रेट/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जा सकेगा और उल्लिखित अनुमतियाँ उनके द्वारा समस्त परिस्थितियों पर नियमानुसार निर्गत की जायेगी। इस आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार थानाध्यक्षों/प्रभारी निरीक्षकों/तहसीलदारो/खण्ड विकास अधिकारियों तथा स्थानीय निकायों एवं जिला सूचना अधिकारी वाराणसी द्वारा किया जायेगा। इस आदेश की एक प्रति प्रत्येक सरकारी कार्यालय एवं नगरीय स्थानीय निकाय के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक जानकारी हेतु अविलम्ब लगाई जायेगी।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायलय की मुहर से आज दिनांकः 19.04.2020 को जारी किया गया।

(कौशल राज शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी।
3 उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
4 नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
5 मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी।

Scanned with CamScanner